तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11-3-25	राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 15/2025 (2025/54) अनवान बुधाराम वगैरा बनाम राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार लूणी जोधपुर अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र पेश कर ग्राम खेजड़ली कंला के खसरा नम्बर 704/264 रकबा 7.5272 हैक्टैयर, खसरा नम्बर 264/1 रकबा 1.6754 हैक्टैयर, खसरा नम्बर 264/2 रकबा 0.5099 हैक्टैयर व खसरा नम्बर 264/3 रकबा 1.5054 हैक्टैयर भूमि का नक्शे में तरमीम की शुद्वि करके मौके अनुसार पूर्व हुये बंटवाड़ा के आधार पर शुद्वि किये जाने का निवेदन किया है। अप्रार्थी तहसीलदार लूणी को तहरीर जारी कर रिपोर्ट ली गई। जो कि तहसीलदार (भू.अ.) लूणी के पत्रांक/भू.अ./2025/517 दिनांक 14.02.2025 के जरिये जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई जो शामिल मिसल की गई। जिसके अनुसार ग्राम खेजड़ली के खसरा नम्बर 264/1, 264/2, 264/3 एवं 264/704 की DILRMP के तहत ऑनलाईन तरमीम गलत दर्ज होना बताया गया। जिसकी जांच हल्का पटवारी खेजड़ली कंला से करवाई गई। उक्त रिपोर्ट के सलंग्न नजरी नक्शा अनुसार तरमीम शुद्वि प्रस्तावित की गई। अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम के तहत स्वीकार किय जाता है तथा तहसीलदार लूणी को आदेश दिये जाते है कि पटवारी रिपोर्ट में प्रस्तावित नजरी नक्शे अनुसार ग्राम खेजड़ली कंला के खसरा नम्बर के खसरा नम्बर 264/1, 264/2, 264/3 एवं 704/264 की ऑन लाईन नक्शे में तरमीम शुद्ध करें। आदेश सुनया गया। पत्रावली फैशल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी (जोधपुर) राज.	